

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या:- /एम0सी0जे0-2025/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति

दिनांक: 26 -मार्च-2025

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के शासकीय पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 लखनऊ दिनांक-14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक-14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या-4303 दिनांक-14.06.2024 पर अंकित है, के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 24-मार्च-2025 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित सम्बन्धित विशिष्टता में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षको के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित नियुक्ति होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक-

1. ओपी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
2. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
3. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
5. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
7. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
8. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
9. एन0एम0सी0 द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम तथा बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय अथवा नियुक्ति के उपरान्त 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में सेवाएं स्वतः समाप्त कर दी जायेंगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक का होगा।

4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 21-11-2019 एवं 18-07-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य

मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या:-7826 /एम0सी0जे0-2025/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।


1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
6. आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
7. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
8. सम्बन्धित विभागध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
10. नोडल अधिकारी, ई-हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
11. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
12. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।
13. सहायक आर्थिक अधिकारी, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज, झाँसी।

प्रधानाचार्य

चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

आदेश संख्या:- 7826/एम0सी0जे0-2025/ई0सी0-1/सविदा-नियुक्ति, दिनांक-26-03-2025 का
संलग्नक

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	प्लास्टिक सर्जरी आर्थोडोन्टिस (सहायक आचार्य)	डा० गौरव जसोरिया पुत्र श्री स्व० राजेन्द्र जसोरिया पता-म०न०-47, एकता विहार सिविल लाईन, झाँसी।	12-05-1980	अनारक्षित	अनारक्षित
2	न्यूरो सर्जरी (सहायक आचार्य)	डा० निखिल खन्ताल, पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार खन्ताल पता-हाउस नं०-5, गली नं०-1, श्री विहार कॉलोनी दतिया।	22-01-1989	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	रेडियाडायग्नोसिस (सहायक आचार्य)	डा० शिवेश पान्डेय पुत्र श्री सुबोध कुमार पान्डेय पता-डी-401, स्काई टावर, झोगन बाग, झाँसी।	19-04-1987	अनारक्षित	अनुसूचित जाति


प्रध्यासाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।